संख्याः-12/2019/1238/सोलह-1-2019-9(बजट-1)/11

प्रेषक,

अवध किशोर,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांकः 16 अप्रैल, 2019**

विषयः वित्तीय वर्ष-2019-20 के वेतन भत्तों के व्ययों को वहन करने हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2019-20 के लिए हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियां के वेतन भत्तों के व्ययों को वहन करने हेतु रूपये 20,75,19,000.00 (रूपये बीस करोड़ पचहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र) को अनुदान के रूप में स्वीकृत करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही राजकीय कोषागार, कानपुर से आहरित कर आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों के वेतन पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी नई सेवा पर व्यय नहीं किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 'पच' के अधीन शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध करायेंगे। इस मद में होने वाला अतिरिक्त व्यय भार संस्था द्वारा अपनी आय/बचत से वहन की जायेगी।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से एक मुश्त न किया जाये अपितु वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

4. इस धनराशि के व्यय पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के अध्याय-16 'ए' की शर्तें भी लागू होंगी ।

5. इस धनराशि की लेखा संपरीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक से कराकर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय ।

6. संस्था को अनुदानित धनराशि का भुगतान अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आहरित कर व्यय की जायेगी। संबंधित कोषागार के बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

2...

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-05- हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)' के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्रांक-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवध किशोर)
उप सचिव

संख्या-12/2019/1238/सोलह-1-2019-9(बजट-1)/2011, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मंडल।
(6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(8) वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त ई-1 अनुभाग/प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।